न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

अपील फौजदारी संख्या – 22/2026 योगेश पूनियाँ बनाम सरकार
अपील फौजदारी संख्या – 23/2026 शेरामल उर्फ शेराराम बनाम सरकार
अपील फौजदारी संख्या – 24/2026 कमलकान्त बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.03.2026	अपीलार्थी/अभियुक्त योगेश पूनियाँ के अधिवक्ता श्री आनन्द बालान उपस्थित। अपीलार्थी/अभियुक्त शेरामल उर्फ शेराराम के अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़ उपस्थित। अपीलार्थी/अभियुक्त कमलकान्त के अधिवक्ता श्री धन्नाराम सैनी उपस्थित। सजा स्थगन के प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपलार्थी/अभियुक्त **योगेश पूनियाँ** द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी के विरुद्ध विचारण वर्ष 2014 से लंबित रहा और चालान प्रस्तुत होने के बाद से अपीलार्थी लगातार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहा है। पूरे विचारण काल के दौरान अपीलार्थी की उपस्थिति नियमित रही है तथा वह कभी भी मफरूर नहीं हुआ है। अपीलार्थी चूरू का स्थायी निवासी है तथा अपने परिवार सहित चूरू में ही निवास करता है, इसलिए उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस प्रकरण के अतिरिक्त उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अन्य कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। अधिवक्ता ने यह भी इंगित किया कि पत्रावली पर अपीलार्थी के विरुद्ध कोई ठोस मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मात्र इस आधार पर कि प्रदर्श पी–23 पर अपीलार्थी के गवाह के रूप में हस्ताक्षर हैं, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का निर्णय पारित कर दिया गया है। प्रदर्श पी–23 मृतक अब्दुल रहमान को दफनाये जाने संबंधी दस्तावेज है जिसे गवाह प्रदीप (पी.डब्ल्यू.–6) द्वारा तैयार किया गया है। उक्त दस्तावेज के अतिरिक्त अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काल्पनिक आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता का कहना था कि इन परिस्थितियों में प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के सफल होने की पूर्ण संभावना है। अंत में अपील की सुनवाई में समय लगने की सम्भावना बताते हुए अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपीलार्थी की सजा स्थगित कर उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अपलार्थी/अभियुक्त **शेरामल उर्फ शेराराम** द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि विचारण के दौरान अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय से जमानत पर रहा है और उसने मुकदमे की	

	सुनवाई में सहयोग किया है। निर्णय पारित होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सात वर्ष के कारावास से दण्डित किए जाने के कारण उसे विधि के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी एक वृद्ध व्यक्ति है। अपील के निस्तारण में समय लगना स्वाभाविक है। यदि इस अवधि में अपीलार्थी को जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है तो अपील प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा तथा अपीलार्थी न्याय प्राप्ति से वंचित रह जाएगा। अतः निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की सजा स्थगित कर उसे मोतवीर जमानत पर रिहा किया जाए। विद्वान अधिवक्ता अपलार्थी/अभियुक्त **कमलकान्त** द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रस्तुत अपील की सुनवाई में समय लगना स्वाभाविक है। अपीलार्थी दिनांक 27.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। विचारण के दौरान अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय से जमानत पर रहा है और उसने मुकदमे की सुनवाई में सहयोग किया है। यह भी तर्क रहा कि यदि अपीलार्थी की सजा स्थगित नहीं की जाती है तो अपील प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा। अतः न्यायहित में अपीलार्थी की सजा स्थगित कर उसे मोतवीर जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए सजा स्थगन का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया गया तथा अपील मिमो के साथ प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। हस्तगत मामले में अभियुक्तगण योगेश पुनिया, शेराम उर्फ जोराराम तथा कमलकांत को धारा 420, 409, 467, 468 एवं 471 सहपठित धारा 120–बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के लिए दोषसिद्ध पाते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। विचारण न्यायालय ने धारा 420 सहपठित धारा 120–बी भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,00,000/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया है। इसी प्रकार धारा 409 सहपठित धारा 120–बी भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,00,000/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में धारा 467 सहपठित धारा 120–बी भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,00,000/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त धारा 468 सहपठित धारा 120–बी भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,00,000/– रुपये के अर्थदण्ड	

से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है। वहीं धारा 471 सहपठित धारा 120–बी भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को 1,00,000/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया है।

सजा स्थगन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अनेक निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि अपील का वास्तविक लाभ तभी है जब अभियुक्त को अपील की सुनवाई तक जेल में न रखकर उसे जमानत का अवसर दिया जाए, अन्यथा अपीलार्थी अपनी सजा भोगने के बाद यदि दोषमुक्त घोषित होता है तो यह न्याय के मूल सिद्धान्तों के प्रतिकूल होगा। अपील लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थीगण को निरन्तर कारावास में रखना और अपील का समय पर न निपटना अभियुक्त के विधिक अधिकारों का हनन है, साथ ही विचारण के दौरान अपीलार्थीगण द्वारा जमानत का दुरुपयोग न किया जाना और अब भी जमानत की शर्तों का पालन करने की तत्परता एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के विचार में अपील के निस्तारण में होने वाली अनिवार्य देरी और अभियुक्तगण के पूर्व आचरण को देखते हुए अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को अपील विचाराधीन रहते हुए सजा स्थगन का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **योगेश पूनियाँ, शेरामल उर्फ शेराराम व कमलकान्त** की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत सजा स्थगन के प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाकर आदेश किया जाता है कि यदि प्रत्येक अपलार्थीगण/अभियुक्तगण विद्वान विचारण न्यायालय की सन्तुष्टि बाबत 50,000/– रुपये का मुचलका एवं इतनी ही राशि की जमानत अपने परिवार के नजदीकी सदस्य की पेश कर तस्दीक करावें तो विचारण न्यायालय के द्वारा इस प्रकरण में दी गई कारावास की सजा व अर्थदण्ड, की क्रियान्विति को मूल अपील के निर्णय तक निलम्बित किए जाने का आदेश किया जाता है। विचारण न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे।

पत्रावली वास्ते बहस अपील में दिनांक 27.03.2026 को पेश हो।